

प्रपत्र - 'क'
(नियम 3(1)देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

आई0डी0सं0..... दिनांक..... (कार्यालय प्रयोग के लिए)
सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी (विभाग/कार्यालय).....

1. आवेदक का नाम:.....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम.....
3. (क)आवेदक का स्थायी पता:-

ग्राम/मुहल्ला..... नगर/पंचायत.....

वार्ड नं0/हो0नं0/स0नं0..... डाकघर.....

पुलिस स्टेशन..... जिला.....

(ख)आवेदक का पत्राचार का पता:-

ग्राम/मुहल्ला..... नगर/पंचायत.....

वार्ड नं0/हो0नं0/स0नं0..... डाकघर.....

पुलिस स्टेशन..... जिला.....

(ग)ई-मेल का पता (अगर कोई हो):-

(घ)दूरभाष संख्या (आवास)..... कार्यालय.....

4. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षिप्त में दें):-

5. घोषणा:- मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी पुरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-08 एवं 09 के अन्तर्गत मुक्त नहीं है यह आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित है।

6. शुल्क का विवरण:-

मैंने.....रुपये का शुल्क के रूप में भारतीय पोस्टलऑर्डर (या) नन जुडिसियल स्टाम्प पेपर (या) डिमांड ड्राफ्ट/बैंक ड्राफ्ट (या) संबंधित कार्यालय में नगद भुगतान कर दीया हूँ। जो लोक सूचना पदाधिकारी सह..... पदाधिकारी के नाम से इस आवेदन (प्रपत्र-क) के साथ संलग्न कर दीया हूँ।

7. मैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार का सदस्य हूँ। मेरा वांछित सर्टिफिकेट/कार्ड की छायाप्रति संलग्न है।

स्थान.....
दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर
या अंगुठे का निशान

प्रपत्र - 'ख'
(नियम 3(1) देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्राप्ति-रसीद

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी

(विभाग/कार्यालय)

आई० डी० सी० तिथि

1. सूचना का अधिकारी नियमावली, 2006 के नियम 3 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत विहित प्रपत्र 'क' में आवेदन दिनांक को श्री/श्रीमती/कुमारी ग्राम/मुहल्ला पोस्ट जिला से प्राप्त किया।
2. सूचना तीस दिनों के अंदर दी जाएगी। अगर यह पाया जाता है कि याचित सूचना देना सम्भव नहीं है, तो उसका कारण दिखाते हुए अथवा अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए एक पत्र निर्गत किया जाएगा।
3. आवेदन 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी से दिनांक (यहाँ तिथि का उल्लेख करें जो आवेदन प्राप्त करने की तिथि से 30 दिनों के बाद की न हो) को सम्पर्क करें।
4. अगर आवेदक निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होंगे तो लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने में विलंब के लिए जबावदेह नहीं होगा।
5. सूचना और अभिलेख प्राप्त करने के पूर्व अगर कोई राशि, फीस अथवा शुल्क देय है, तो आवेदक को जमा करना होगा।

लोक सूचना पदाधिकारी

विभाग/कार्यालय का नाम :

दूरभाष संख्या :

ई-मेल :

बेवाईट :

नोट :- (जो लागू न हो उसे काट दें)